

(भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

का. आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ मैसर्स इन्टरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एगोफोरेस्ट्री, साउथ एशिया रीजनल प्रोग्राम, एनएएसी कम्पलेक्स, दिल्ली(आईसीआरएफ) (पैन: AAATI4803K) नामक संगठन को निर्धारण वर्ष 2019-20 और इससे आगे की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े 'साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन' की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः-

- (i) अनुमोदित संगठन को दी गई राशि का प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बहियां रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
- (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और इस प्रकार के दान का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाएगा तथा उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के तहत भारतीय कृषि शोध परिषद(आईसीएआर)/कृषि शोध तथा शिक्षण विभाग (डीएआरई) कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात अनुमोदित संगठन अनुदान/दान प्राप्त करेगा तथा इस प्रकार प्राप्त किए गए दान/अनुदान का प्रयोग केवल भारत में ही शोध कराने के लिए किया जाएगा।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अलग लेखा बहियां रखने में असफल रहता है; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा
- (ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा उनका पालन नहीं करता है।

(राजाराजेश्वरी आर.)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 99/2019

(फा. सं. 203/04/2019-आईटीए.-II)

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आवेदक संगठन मैसर्स इन्टरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफोरेस्ट्री, दिल्ली
2. सचिव, डीएआरई, कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
3. महानिदेशक, भारतीय कृषि शोध परिषद, दिल्ली
4. सीसीआईटी(छूट), दिल्ली
5. सीआईटी(छूट), दिल्ली
6. आईटीसीसी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)
7. वैब मैनेजर, नई दिल्ली को www.incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
8. संबंधित फाइल
9. गार्ड फाइल

राजाराजेश्वरी
(राजाराजेश्वरी भारती)

अवर सचिव, भारत सरकार